**माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2021 को सायं 05.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त**

**बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः**

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ..... **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली ..... **सदस्य**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

बैठक का आरंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के औपचारिक स्वागत से हुआ। समिति के सदस्यों ने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के समक्ष अपना परिचय दिया और समय–2 पर उच्चाधिकार समिति के सुझावों और सिफारिशों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं और उनसे संबंधित भूमिकाओं के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को जानकारी दी।

**एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन**

**आइटम न. 1: पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार परकैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा**

आरंभ में **श्री संदीप गोयल,महानिदेशक (जेल)** ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया और माननीय अध्यक्ष को समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों** का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के विषय में विस्तृत रूप से अवगत करवाया। उन्होने आगे सूचित किया किपहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे कोविड–19के मामलों की वृद्धि के ऊपर जांच रखने में सफल रहे हैं और वे जेल परिसर के अंदर **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के सक्रिय केसों की संख्या को भी कम करने में भी सफल रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या**PS/DG(P)/2020/ 17-22दिनांक 04.01.2021** के द्वारा दिनांक 04.01..2021तक दिल्ली जेल में **कोविड–19** के पाजिटिव केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार है:

**जेल में बंद कैदियों के मामले** : **115** (**113**ठीक हुए, **02**की मृत्यु, **0**सक्रिय मामले )

**जेल स्टॉफ** : **290** (**288** ठीक हुए, **02** सक्रिय मामले)

हालांकि महानिदेशक (जेल) बैठक के दौरान समिति के संज्ञान में लाए कि मंडोली की जेल न. 13 के एक कैदी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने से पूर्व उसका **कोविड–19** टेस्ट करवाया गया था और वो **पाजिटिव** पाया गया। उन्होने आगे सूचित किया कि उसकी contact tracing कर ली गई है और उसकी बैरेक के **26 अन्य कैदियों** का "रेपिड एंटीजन टेस्ट" कर लिया गया है। इस टेस्ट के दौरान एक अन्य कैदी भी **कोविड–19पाजिटिव** पाया गया। इन दोनो कैदियों को अलग से एकांत में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि वे शीध्र ही इन कैदियों का RTPCR टेस्ट करवाए और तब तक उन्हें जेल के अन्य कैदियों से धुलने मिलने की आज्ञा न दी जाए। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक **20.06.2020** तथा उसके बाद की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन **55 वर्ष से अधिक उम्र** के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम न** हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने उन सभी संभावित तरीकों के विषय में विचार विमर्श किया जिससे कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** जेल परिसर में प्रवेश कर सकता है।**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया जो कि:

*(ए) नए प्रवेशक जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं।*

*(बी) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ*

*(सी) राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्ति।*

*<u>जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि</u>*

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** की जाती है। उन्होने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ –2 कैदियों से बात करते समय **पीपीई किट, मास्क** पहने और **सामाजिक दूरी** का पालन करें। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए को सुझाव के अनुसार स्टॉफ दो परत सुरक्षा मास्क का प्रयोग कर रहा है और मास्क के साथ –2 वे वाइसर (visor) का भी नियमित रूप से प्रयोग भी कर रहें हैं।

उन्होने आगे सूचित किया कि दिनांक 04.01.2021 तक **290 जेल स्टॉफ** कोविड पॉजिटिव पाया गये थे। जिसमें से **288** पहले ही ठीक हों चुकें है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **02** सक्रिय केस है जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड–19 पॉजिटिव** पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके।

**<u>नए प्रवेशकों जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं, के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय</u>**

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न. 7 और जेल न. 8/9 मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को "**अलगाव वार्ड**" के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की

आयुवाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में "**अलगाव वार्ड"** के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "**अलगाव वार्ड"** अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को **अस्थाई जेल** के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के **नए प्रवेशकों** को रखने के लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सके।

**अस्थायी जेल : जेल में अतिरिक्त आवास**

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने **अस्थायी जेल** बनाने और उसे **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग करने के लिएराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **12 टावर**के आबंटन के लिए **पुख्ता प्रयास**किएहैं जिसमें प्रत्येक टावर में **30 फ्लैट** हैं।

प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्लीकी **अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020**के द्वारा **कोविड–19** महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों को **अस्थायी जेल** घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित कियाकि पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। उन्हें अस्थायी जेलों के रूप में प्रयोग करने के संबंध में आज महानिदेशक (जेल) ने बताया कि **12 टावरों** में से अब 6 टावर **बी, सी, डी, ई** आई, **और जे** ब्लॉक पूरी तरह **अस्थायी जेलों** के रूप में से **क्रियाशील** हैं। यह भी बताया गया कि वर्तमान में इन टावरों में उन्होने 340 कैदियों को रखा है जिसे उन्होने अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि टावर जी,एच जे,के एवं एलटावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और उन्हें भी शीध्र ही क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होने बताया दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है। जिससे कि वे जेल स्टॉफ के साथ घुलना मिलना कम किया जा सके।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि वर्तमान में अस्थायी जेलों में **कैदियों** को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा। अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके **सुरक्षा उपायों** के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की **चिंता** को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने **"अस्थायी जेल"** में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां**"अस्थायी जेल"** में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैटस/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो **अस्थायी जेल** के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं।महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए **अलगाव वार्ड** बनाने कीसमस्या काफी हद तक हल हो गई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि वे सभी विचाराधीन कैदी/दोषी न्यायालयद्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए दिल्ली की जेलों में आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए **अस्थायी जेल** में **रखा** जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि  पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग **अलगाववार्ड** में रखा जाएगा।

**<u>जेल अस्पताल</u>**

अध्यक्ष ने  जेल अस्पताल में **आक्सीजन से सबंधित मशीनों**के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** संबंधमें पूछताछ की।महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित04 मशीने** खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने **आक्सीजन से सबंधित 15 मशीनों** की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली औरा रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में **आक्सीजन से सबंधित मशीने** उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) नेसूचित किया कि ICMR  के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** किए जा रहें हैं।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया किजेल अस्पतालों में उचित संख्या में **आक्सीमीटर** और **ऑक्सीजन सिलेंडर** के साथ–2 **आवश्यक दवाइयों और उपकरणों** की नियमित रूप से आपूर्ति हो  रही हैं।

अन्य एहतियाती उपाय

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में **स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार** के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

**आइटम न. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम**

जेल परिसर में**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया किजेल स्टॉफके लिए**मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है।

**समिति** महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

**<u>आइटम नंबर 3:जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा</u>**

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक **23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020 और 28.11.2020** को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर**व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया। महानिदेशक (जेल) के पत्रांक **PS/ DG(P)/2021/2072-73 दिनांक 09.01.2021** में आंकड़े भी वर्णित हैं।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

| | |
|---|---|
| दिनांक 09.01.2021 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी | **3499** |
| माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी | **310** |
| आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी | **1184** |
| दिनांक 09.01.2021 तक सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी | **130** |
| **दिनांक 09.01.2021 तक अंतरिम जमानत/पैरोल/सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी जो कि माननीय उच्चाधिकार समिति के तत्वाधान में भीड़ कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ही रूप है।** | **5123** |

**<u>अंतरिम जमानतः</u>**

समिति के सदस्यो ने स्वयं को उस लक्ष्य का स्मरण करवाया जिसको ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक ***<u>"Suo MotuPetition (Civil) No.1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19"</u>*** के द्वारा समिति का गठन उन कैदियों के श्रेणी/वर्ग पर विचार करने के लिए किया था जिनको अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समिति का गठन, महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितयों जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन और न्यायालय के कार्य प्रतिबंधित हो गए थे, के कारण किया गया था। जिससे कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने दिनांक 13.04.2020 के बाद के आदेश का स्मरण कराया जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्यों को कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का आदेश नही दिया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह महसूस किया कि इस समिति का गठन उपरोक्त लक्ष्य को लेकर किया गया था जिसका उद्देश्य केवल जेलों की भीड़ को कम करने का हल ढूढंना और वायरस के प्रसार से बचना था और ऐसा करते समय इस बात का घ्यान रखा गया था कि इन परिस्थितियों में अंतरिम जमानत से लाभ सामाजिक गिरावट के लिए नही हो सकता है।

समिति के सदस्यो की यह रॉय है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी आधार पर की गई है और इसका अर्थ कभी भी जमानत के या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों/अनुदानों से इनकार के पूरक के रूप में नही था। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब किए गए जब लॉकडाउन और मौजूदा परिस्थितियों के कारण न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालाँकि स्थिति अब बदल गई है, इसलिए इन अस्थायी उपायों को सदा के लिए **बढ़ाया नही जा सकता** है।

भारत सरकार के दिनांक 30.09.2020 के आदेश सं.**40-3/2020-DM-I(A)** को ध्यान में रखते हुए **अनलॉक 5** के संबंध में है और जो दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी है और तदानुसार परिस्थितियों के परिवर्तन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं. **538/RG/DHC/2020** दिनांक 19.10.2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी न्यायालय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पुनः भौतिक रूप/विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुरू हो रहें हैं। इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि कि विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की सिफारिशों के मानदंडों को और **अधिक लचीला नही** बनाया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के लाभ जो कि पिछली बैठक के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक जारी रहना था, को आगे नही बढ़ाया जा रहा है।

समिति के सदस्यों का यही विचार है कि सभी न्यायालय यानि माननीय उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरह से कार्य कर रहें हैं अतः सभी विचाराधीन कैदी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कहने की आवश्यकता नही है कि इस तरह के आवेदन जब कभी भी दायर किए जाएगें तो कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है परंतु फिर दोहराया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.20200, 05.052020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020 एवं 28.11.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

**सजा की छूट :**

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि**दिनांक 28.03.2020** कीउच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. **F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020**के द्वारा **पात्र दोषियों को सजा की छूट** प्रदान की है। उन्होने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक **72 दोषियों** को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं.F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में **दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश** दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक **33 और दोषियों** को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः आज तक **105 दोषियों**को सजा की छूट का लाभ मिला है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि पुनः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने दिनांक 07.04.2020 के सजा की छूट आदेश को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया है। **तदानुसार 25 अन्य दोषी** रिहा हो गए हैं। दिनांक 09.01.2021 तक **130 दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।**

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की।

**आइटम नंबर 4:–दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **28.11.2020** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होने **दिनांक 30.11.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*** **दिनांक 02.12.2020** के आदेश में जिन **3499 विचाराधीन कैदियों** की **अंतरिम जमानत**को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी **अंतरिम जमानत**को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **45 दिनों के लिएआगे बढ़ा दिया गया है**।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि**अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए** जाने के साथ –2 समिति के दिनांक 28.11.020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें **3499** विचाराधीन कैदी सम्मिलित है) को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि **20.01.2021** से समाप्त होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान में लाए कि यदि इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन **3499 विचाराधीन कैदियों** और **1184 दोषियों** को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो दिल्ली की जेलों की कुल आबादी **21,500** तक पहुँचने की संभावना है जो कि अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण असहनीय हो सकती है।

उन्होने यह भी बताया कि आज तक केवल एक अवसर पर दिल्ली की जेलों की अधिकतम आबादी 18,000 तक पहुंची है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 08.01.2021 के आदेश से **1184 दोषियों** की आपातकालीन पैरोल की अवधि चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है जो कि अब दिनांक 07.02.2021 से समाप्त होगी। उन्होने कहा कि यह उचित होगा यदि आपातकालीन पैरोल प्रदान किए गए दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों से पूर्व आत्मसमर्पण के लिए कहा जाए।

महानिदेशक (जेल) ने आगे कहा कि वर्तमान जेल जनसंख्या जो कि **16,396 (दिनांक 12.01.2021 तक)** है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति को देखते हुए यह उचित होगा कि उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत **3499 विचाराधीन कैदियों** को प्रदान की गई अंतरिम जमानत को **30 दिनों** की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 14.01.2021 का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 14.01.2021 का पत्र को पढ़ा और महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार विमर्श किया। समिति के सदस्यों ने दिल्ली जेलों की कुल क्षमता पर भी विचार किया जो कि इस प्रकार हैः

| क्रम सं. | जेल परिसर | कैदियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | तिहाड़ | 5200 |
| 2. | रोहिणी | 1050 |
| 3 | मंडोली | 3776 |
| | कुल | 10026 |

समिति के सदस्यों ने विचार किया कि आज तक इसकी क्षमता के विरूद्ध वहां पहले से ही **16396 कैदी** हैं और यहां तक कि यदि 2000 कैदियों के लिए नई बनायी गई अस्थायी जेल के अतिरिक्त आवास पर भी विचार किया जाए तो इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के तहत अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर रिहा विचाराधीन कैदियों/दोषियों को समायोजित करना जेल प्राधिकारियों के लिए अत्यंत असुविधाजनक होगा यदि वे एक साथ आत्मसमर्पण करेंगे।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जो अभी आपातकालीन पैरोल की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें उनकी आत्मसमर्पण की तिथि से 14 दिनों की अवधि के लिए अलगाव वार्ड में रखा जाएगा। अतः समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा दिए गए तर्कों को उचित पाया कि 3499 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को 30 दिनों की अवधि को आगे बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है।

समिति केसदस्यों की यह राय है कि जेल प्राधिकारियों को किसी प्रकार की **अराजकता और असुविधा** को रोकना उचित होगा। यदि समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों को **फरवरी, 2021** को **आत्मसमर्पण** के लिए कहा जाता है तो उस समय तक आपातकालीन पैरोल की अवधि के समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने वाले दोषियों को **एकांत मे रखने** की अवधि **समाप्त हो जाएगी।**

इन सभी संबंधित कारको के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अर्थात :

(ए) दिल्ली जेल की वास्तविक धारण क्षमता।

(बी) वर्तमान अधिभोग।

(सी) माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पारित दिनांक **20.10.2020** के आदेशानुसार दिनांक **02.11.2020 से 13.11.2020** तक आत्मसमर्पण करने वालेविचाराधीन कैदियों / दोषियों की संख्या।

(डी) उन्हे नियमित जेल भेजने से पूर्व उन्हें 14 दिन अलगाव वार्ड में **रखने** की अवधि।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये **3499 विचाराधीन कैदी** जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आतें हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से **किसी निजी अधिवक्ता** अथवा **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता** के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों को** इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की **30 दिन** की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग–2 न्यायालयों द्वारा **अलग–2 तारीखों में 45 दिनकी अवधि** के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा ***"W.P.(C) 3080/2020*** शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs.State"***, आरंभ मेंदिनांक **09.05.2020** के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए **बढ़ाई गई थी** और उसी को समय–2 पर दिनांक **22.06.2020, 04.08.2020**, **18.09.2020** और अंत में **02.12.2020** को **45 दिनों** के लिए **आगे बढ़ा दिया** गया। इन **3499 विचाराधीन** कैदियों को अलग–2 तारीखों पर **अंतरिम जमानत** दी गई थी।इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके **आत्मसमर्पण** के लिए **अलग से तारीखों की आवश्यकता नही** है।

यह कहने की आवश्यकता नही है कि यदि दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति समान रहती है या इसमें गिरावट का पता चलता है तो समिति द्वारा कोविड–19 के संबंध में अंतरित जमानत नही बढ़ाई जाएगी। ऐसे सभी विचाराधीन कैदी अपने निजी वकील या **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के** माध्यम से नियमित जमानत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भी मामला हो, और ऐसे

सभी न्यायालय जमानत याचिका पर मेरिट के अनुसार विचार करेंगे। इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंड इसमें सम्मिलित नही हैं।

**आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 4 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक**

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए **आपातकालीन पैरोल**प्रदान की थी। जो कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और पहले दिल्ली में महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए उस समय महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने के लिए** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **अपेक्षित अनुरोध** निर्देश दिया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **F.No.18/191/2015-HG/3823-29 दिनांक 03.12.2020** के आदेश से उन सभी दोषियों की जिनकी आपातकालीन पैरोल की अवधि दिनांक **09.01.2021** को या उससे पूर्व समाप्त होने जा रही थी, उसको **6 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया** गया है।

**1184** दोषियों की आपातकालीन पैरोल की अवधि को **आगे बढ़ाने के संबंध में**महानिदेशक (जेल) द्वारा विशेष सचिव (गृह) को **पत्रांक F. 10 (003598848)/CJ/LEGAL/PHQ/ 2020/ 506 दिनांक 04.01.2021**को पत्र लिखा गया था जिसे वे समिति के संज्ञान में लाए।

महानिदेशक (जेल) ने कहा कि **जेल की जनसंख्या** पर विचार करते हुए उक्त पत्र लिखा था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जेल के अंदर भीड़भाड़ न हो जाए। प्रधान सचिव (गृह) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के दिनांक 08.01.2021 के आदेश से **1184 दोषियों** की *आपातकालीन पैरोल* की अवधि **4 सप्ताह** के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

इस पर विचार करने के पश्चात समिति की रॉय है कि वर्तमान में **1184 दोषियों** की *आपातकालीन पैरोल* की अवधि **4 सप्ताह** के लिए पहले ही आगे बढ़ा दी गई है। अतः इस संबंध में समिति को कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नही है।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि से सिफारिशें दिल्ली में **कोविड–19** की स्थिति पर विचार करते हुए की गई थी। समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि दिल्ली में **कोविड–19** की स्थिति समान रही या उसमें गिरावट दर्ज की गई तो **कोविड–19** के आधारपर दोषियों की आपातकालीन पैरोल को आगे बढ़ाने की सिफारिश नही की जाएगी।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

| | | |
|---|---|---|
| **संदीप गोयल** | **श्री एस.एस. भल्ला** | **कंवलजीत अरोड़ा** |
| **महानिदेशक (जेल)** | **प्रधान सचिव (गृह)** | **सदस्य सचिव** |
| | | **डीएसएलएसए** |

**माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,**
**कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए**

.....

**यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 14.01.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।**

**हिन्दी अनुवादक**
**डीएसएलएसए**